

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठारीन अधिकारी:- श्री एल. शमा आर.एस.

मुकदमा संख्या - 40/18

1- भीमा 310 खुदा जाट निवासी-लेसावा, तहसील-माण्डल - प्रार्थी

बनाम

2- अस्तावर 310 तलीक जाट निवासी-वाहरगढ़, लेसावा, तहसील-माण्डल - विपक्षीय [करीम]

211

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

आदेश दिनांक:- 26/4/18

प्राथी की ओर से एक प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम **लेसावा** पटवार हल्का **लेसावा** तहसील मांडल/करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. **1062, 1063** कुल कित्ता **02** रकबा **08** बीघा **48** विस्था स्थित है। बादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदाशिया के सीमा बिन्दु नहीं होने से आय दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि को पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जाय।

प्रस्तुत प्राथना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **31-1-18** को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि बाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे कायम की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अगिलेख में किसी प्रकार की हस्त-फैरी होने का अर्थ नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निष्कारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र प्राथी से अधिक योग्य है।

आदेश :-

प्राथी को प्राथना पत्र धारा 111-128 लण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम **उरत** पटवार हल्का **उरत** तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नंबर **उरत** कुल कित्ता **उरत** रकबा **उरत** बीघा **उरत** विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अगिलेख निरीक्षण **वांकराम** को **350/-** रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीयन मौके पर जमा कराये। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को धनाये रखते हुये मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाये। फलस्वत् खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जाये।

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल निला भीलवाड़ा

ध्यातेदिये - कारसीनवार मांडल/करेडा को पत्थर लेख में कि प्राथी द्वारा सही जमा कराने पर निवर्तमान पत्थरगढ़ी की जाकर अगिलेख सिद्ध 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल निला भीलवाड़ा